“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025 — फाल्गुन 27, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, 1946)

क्रमांक–4487 / वि.स. / विधान / 2025.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) जो सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. / –

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) के अग्रतर संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची में,—

(एक) सरल कमांक 6 के कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) सरल क्रमांक 7 के कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द ''भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित'' के स्थान पर, शब्द ''भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा)'' प्रतिस्थापित किया जाये।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।

अतएव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में संशोधन करना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,
दिनांक 05 मार्च,2025

केदार कश्यप
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनूसूची में यथा संशोधन धारा 5–क (1) "माननीय सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर **"माननीय सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा)"** एक वित्तीय वर्ष निर्धारित राशि रूपये 10.00 लाख तथा धारा 5–क (2) "भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर **"माननीय भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा)"** एक वित्तीय वर्ष में राशि रूपये 05.00 लाख निर्धारित होने से **राज्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा।**

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 5–क (1)/धारा–5 क (2) एवं अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :

धारा 5–क (1) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में **"अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट"** किराये की सीमा तक निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का बोर्डिंग सहित हकदार होगा. ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे."

"परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा, कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में **"अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट"** से अधिक का नहीं होगा."

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा।

परंतु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा की गई यात्रायें इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी।

धारा 5–क "(2) धारा 6–क के अधीन पेंशन क़े हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु **"अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट"** मूल्य के कूपन की पात्रता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की पॉच लाख की सीमा में ही हवाई यात्रा बोर्डिंग सहित करने के भी हकदार होंगे."

"अनुसूची

{धारा 2 (घ) देखिये}

स.क. (1)	धारा (2)	वेतन/भत्तों का विवरण (3)	राशि (4)
1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 20,000/– प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रूपये 55,000/– प्रतिमास
3.	धारा 4–क	सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता	रूपये 10,000/–प्रतिमास
4.	धारा 4–ख	प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता	रूपये 15,000/– प्रतिमास
5.	धारा 4–ग	(एक) दैनिक भत्ता	(एक) रूपये 2,000/– प्रतिदिन
		(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता	(दो) रूपये 2,000/– प्रतिदिन
6	धारा 5–क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रूपये 10,00,000/– प्रतिवर्ष
7	धारा 5–क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रूपये 5,00,000/– प्रतिवर्ष
8.	धारा 6–क (1)	पेंशन	रूपये 58,300/– प्रतिमास
8 क.	धारा 6–ख	किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी।	रूपये 25,000/– प्रतिमास
9	धारा 6–ग	भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रूपये 15,000/– प्रतिमास
10	धारा 7 (1)	सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता	रूपये 15,000/– प्रतिमास"

दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.